

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) प्रत्यागत समिति द्वारा

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

सुरेन्द्र सिंह

बनाम

राजस्थान सरकार ज़रिफ़ी दखलीलदार

दावा बाबत रिकॉर्ड डुरुस्ती अन्तर्गत धारा 188

मुकदमा नम्बर :- 133/2022

निर्णय दिनांक :- 15-06-22

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी सीका किया

जाका रोधी ग्राम लोहसा बडा खाता सं. 179 खं. नं. 1, 109, 118, 12, 13, 6 व खाता सं. 51 खं. नं. 13 की जमाबंदी में अंकित नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाध सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाध सिंह को पाने की घोषणा की जाती है। वादी के विरुद्ध पूर्व में किसी आपराधिक प्रमाण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। दखलीलदार द्वारा उस्ताजहा शाह्वि अर्जियों के अन्तर्गत दावा के खर्चों पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

